



प्रेस नोट



थाना सुल्तानपुर घोष, जनपद फतेहपुर

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय खागा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.09.2024 को थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में 30नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 अजीत सिंह जो प्रमेनगर में मौजूद थे कि जाँच के लिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुल्तानपुर घोष गाँव से पक्की रोड जौहर भट्टे की तरफ से आ रहा है जिस के पास अवैध गांजा है जिसे बेचने के लिये चौकी चौराहे की ओर जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाय तो उसे जौहर भट्टे के पास पक्की सड़क पर ही पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी को मकसद से अवगत कराया गया तथा मुखबिर खास व एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर यह यकीन किया गया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई भी वस्तु नहीं है। और हम लोग जैसे ही गणेश शंकर विद्यार्थी स्कूल के पहले सुल्तानपुर घोष की तरफ जाने वाली सड़क के पास पहुंचे तो मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति हाथ में एक लाल रंग का थैला लिये है उसी के पास गांजा है। जिसकी ओर मुखबिर खास ने इशारा कर बताया और मुखबिर खास चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति मुख्य सड़क पर पहुंचने वाला था उसको 50 कदम पहले ही हम पुलिस वालों द्वारा एक बारगी दबिश देकर घेर घार कर हिकमत अमली से उस झोला लिये एक व्यक्ति हीरालाल पुत्र सूरज बली उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम सुल्तानपुर घोष थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर को एक लाल रंग का थैला लिये है उसी में 01 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी स्कूल के पहले सुल्तानपुर घोष की तरफ जाने वाली सड़क बहद ग्राम सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर के पास से समय 05.00 AM बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 150/2024 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु भेजा गया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

1. हीरालाल पुत्र सूरज बली उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम सुल्तानपुर घोष थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

➤ बरामदगी का विवरण:-

1. 01 किलो 300 ग्राम गांजा

➤ अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. हीरालाल पुत्र सूरज बली उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम सुल्तानपुर घोष थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।
 1. मु0अ0सं0 58/2022 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना सुल्तानपुर जनपद फतेहपुर।
 2. मु0अ0सं0 150/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।
2. 30नि0 अनिल कुमार सिंह, थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।
3. कां0अजीत सिंह थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।



थानाध्यक्ष
थाना सुल्तानपुर घोष
जनपद फतेहपुर